

स्वयं प्रेषण
आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक २४-१-२२
को पेश हो।

५
रीडर

२४-१-२२ आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी व
वादी के वकील अनुपस्थित। पत्रावली में
बार-बार अवाज दिलवाई गई। लेकिन
कोई भी उप नही आये। नही सूचना
ही प्राप्त हुई। इससे ज्ञात होता है कि
वादी वाद चलावाही नही चाहत है।
अतः वादी का वाद अदम वैरवी अदम
दोजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
वाद तकमील दारिबल वफतार हो।

५
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अदालत) सख.

